SDS

।। उद्घोष ।।

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी नई दिल्ली का आन्तरिक सूचना पत्र

समर शेष है/नहीं पाप का भागी केवल व्याध/जो तटस्थ हैं/मौन बने हैं/
समय लिखेगा उनका भी इतिहास! –राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर

वर्ष 9 अंक 6 अक्तूबर 2020 - दिसम्बर 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष

मार्गदर्शन – नरेन्द्र कुमार
सम्पादन – विद्यावती भारद्वाज
सहयोग – हनुमान सहाय शर्मा
– सुरेन्द्र सिंह तंवर
– रमेश भैया, जयेश जोशी
– राजेश सिंह सिसोदिया

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाना है। उच्च शिक्षा का मूल सिद्धान्त बहुल विषयक संस्थान विकसित करना है।

जैसा कि संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक बाणभट् ने कहा है–

''एक अच्छी शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थियों को 64 कलाओं का ज्ञान कराती है।'' हमारी उच्च शिक्षा संस्थाएं सभी कौशलों– आर्ट, प्रोफैशनल, वाकेशनल एवं साफ्ट स्किल में शिक्षार्थियों को तैयार करेंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

''शिक्षा परिवर्तन लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है।''

किसी देश का आर्थिक, सामाजिक नैतिक एवं व्यैक्तिक विकास वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। भारत में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। वैदिक काल से लेकर अठारहवीं सदी तक गुरु–शिष्य परंपरा, कवियों और संतों के जरिए शिक्षा की धारा यहाँ अविरल बहती रही है। ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज भारतीय दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्रचीन भारत में विश्व–स्तरीय संस्थानों ने विदेशी विद्यार्थियों को भी लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक सुश्रुत, आर्यभट्, चाणक्य, वरामिहिर, चक्रपाणि माधव, पाठिनी, पतंजलि, नागार्जुन, गार्गी, मैत्रयी, थिरूवल्लुवर जैसे महान वैज्ञानिक एवं बुद्धिजीवियों को जन्म दिया।

इन विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों–गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिक्तिसा, शल्य चिक्तिसा, इंजीनियरिंग, ललित कला इत्यादि में मौलिक योगदान दिया। इस समृद्ध विरासत को न केवल संरक्षित रखना। उस पर शोध करने की आवश्यकता है। जहाँ उपयोगी हो, इस ज्ञान को शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिली है। आज भारत में शिक्षा का विशाल ढांचा है जिसको बनाने के

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी, 96–97, पॉकेट 13, सैक्टर 20, रोहिणी, नई दिल्ली–110086, भारत
Mob : 9654957131 E-mail: sdsindia09@gmail.com website : www.shividevelopmentsociety.org

लिए अनेक नीतियां बनी, आयोगों का गठन हुआ और कानून पास किए गए।

गत् जुलाई में मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृति दी है। इससे पहले देश में दो शिक्षा नीति बनी है। पहली शिक्षा नीति 1968 और दूसरी 1986 में बनी थी। दूसरी शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किये गए और आर टी ई यानि शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया गया।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रुप से महाशक्ति बनाना तथा शिक्षा सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता, पहुँच, जवाबदेही, सामर्थ्य और सामानता के सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

1. आंगनवाड़ी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाया गया है।
2. शिक्षा का ढांचा एवं पाठ्यक्रम

वर्तमानढांचा

वर्ष	आयु
2	16–18
10	**6–16**

नया ढांचा

वर्ष	आयु	कक्षा
4	14–18	9–12
3	**11–14**	**6–8**
3	8–11	3–5
2	**6–8**	**1–2**
3	3–6	आंगनवाड़ी/ प्री स्कूल

3. देश में लगभग 5 करोड़ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बुनियादी जमा–घटा का भी ज्ञान नहीं है। अतः इस शिक्षा नीति में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। कक्षा पाँच तक पाठ्यक्रम क्रियाक्लाप पर आधारित होगा जैसे संगीत, नाटक, कविता वाचन खेल। इससे शिक्षा छोटे बच्चों के लिए रुचिकर होगी।
4. स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्यों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो और उन्हें नियमित रुप से स्कूल भेजा जाए। देश में कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्राओं/छात्रों का एक बहुत बड़ा अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017–18 में एन एस एस ओ के सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के स्कूल न जाने वाले बच्चे 3.88 करोड़ हैं। इन्हें शिक्षा व्यवस्था में पुनः लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और भविष्य में छात्रों का ड्रापआउट दर भी कम करना है। इसके लिए दो पहल की जायेंगीः–
   (1) सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए स्कूली शिक्षा को आर्कषक बनाया जाएगा और , स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जायेगा।
   (2) बच्चों की ट्रैकिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे स्कूल से रूचि न खोएं। उनकी गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाने के लिए अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।
5. नई शिक्षा नीति में इस बात अधिक जोर दिया गया है कि बच्चें समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के अन्तर–संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोचें और नई जानकारी को बदलती परिस्थितियों में उपयोग में ला सकें। शिक्षण प्रक्रिया खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित होगी और लचीली होगी। सभी चरणों में प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा।
6. विद्यार्थियों के सामने विषयों के चयन के विकल्प होंगे। इन विषयों में शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय/कौशल शामिल हैं। शिक्षा नीति में उल्लेखनीय बात यह है कि माध्यमिक कक्षाओं यानि 6–8 में विद्यार्थी शिल्प एवं कौशल सीखेंगे। 3 वर्ष की अवधि में 10 दिन ऐसे होंगे जब विद्यार्थियों को बैग नहीं लाना होगा और उन्हें स्थानीय कौशल विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, कुम्हार, लोहार, माली इत्यादि के साथ इन्टरनशिप करनी होगी।

   स्कूली शिक्षा में सीमेस्टर प्रणाली पर विचार करने, छोटे मोडयूल शामिल करने की अनुमति होगी। विकल्प के तौर पर आनलाइन मॉडल भी तैयार किये जायेंगे।
7. त्रिभाषा फॉर्मूला लागू रहेगा। किसी पर भी कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। संस्कृत के अलावा भारत की अन्य

शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, ओडिया का साहित्य छात्रों के लिए विकल्प के तौर पर आनलाइन मॉडयूल के रूप में उपलब्ध होंगे। पाठ्यपुस्तकें दो भाषाओं में होंगी।

8. राष्ट्रीय आकलन केन्द्र **एन सी ई आर टी,** एवं **एस सी ई आर टी** जैसी संस्थाओं के मार्गदर्शन में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के प्रगति कार्ड को नया स्वरुप दिया जायेगा। यह बहु आयामी कार्ड होगा।
9. सैकेंडरी स्तर पर शिक्षार्थी विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हैं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रैंच, जर्मन, रूसी। एक और उल्लेखनीय बात है कि विद्यालय स्तर पर आधुनिक विषय भी उपलब्ध होंगे –आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, डिजाईन थिंकिंग, कोडिंग, स्वास्थ्य, आर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण, वैश्विक नागरिकता शिक्षा।
10. लड़कियों की स्कूल तक पहुँच सुनिशिचत करने के लिए उन्हें साइकिल दी जायेंगी। नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण होगा।

शिक्षक

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर बहुत बल दिया गया है। सन् 2030 तक अध्यापक के लिए 4 वर्ष की इंटीग्रेटिड बी.एड. डिग्री न्यूनतम योग्यता निर्धारित का लक्ष्य है।
2. अगर किसी शिक्षार्थी ने बी.ए. कर लिया है तो बी.एड. 2 वर्ष की करनी होगी।
3. एम.ए. करने पर बी.एड. 1 वर्ष की होगी।
4. मेधावी शिक्षार्थिओं को शिक्षण क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए शिक्षक को विशेष भत्ता दिया जायेगा या आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

उच्चतर शिक्षा

1. भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत् विकास एजेंडा–2030 (एस.डी.जी.–4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेन्डा का लक्ष्य विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन लक्ष्यों के अनुरुप सरकार जाति, लिंग, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, विशेष आवश्यकताओं और भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अवसर प्रदान के लिए कटिबद्ध है।

2. शिक्षार्थियों को विषय चयन करने और छोड़ने की स्वतंत्रता होगी। वे जो विषय छोड़ेंगे, उन्हें उचित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। स्नातक डिग्री 3/4 वर्ष की होगी। अगर विद्यार्थी किसी कोर्स में 1 वर्ष पूरा करता है और फिर छोड़ना चाहता है तो उसे प्रमाणपत्र दिया जाएगा। अगर किसी कोर्स में 2 वर्ष पूरा करता है तो डिप्लोमा दिया जायेगा।
3. एकेडैमिक बैंक ऑफ क्रैडिट (ए.बी.सी.) शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण पहल है। मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों के क्रेडिट जमा होंगे, यानि एक स्ट्रीम छोडने पर उनका अध्ययन बेकार नहीं जायेगा। उनके क्रैडिट दूसरे विषय/स्ट्रीम में शामिल किए जायेंगे।
4. उच्च शिक्षा संस्थानों को मास्टर डिग्री प्रोग्राम निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
   - 4 वर्ष की स्नातक डिग्री लेने के पश्चात् शिक्षार्थी को 1 वर्ष की मास्टर डिग्री करनी होगी।
   - 3 वर्ष की स्नातक डिग्री लेने के बाद 2 वर्ष की मास्टर डिग्री होगी। लेकिन दूसरे वर्ष में विद्यार्थी को किसी एक टॉपिक पर शोध/रिसर्च करना होगा।

– पी.एच.डी. करने के लिए 4 वर्ष की स्नातक डिग्री या 1/2 वर्ष मास्टर डिग्री + 4/3 वर्ष की स्नातक डिग्री की आवश्यकता होगी।

5. उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि, आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायता दी जायेगी, जो सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा, ओ.डी.एल, आनलाइन, पारम्परिक शिक्षण में सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वच्छ पेय जल, शौचालयों, ब्लैकबोर्ड, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में विद्यार्थियों की नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच होनी चाहिए।
7. यह खेद की बात है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा समझा जाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी शिक्षा संस्थान–स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करे। वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखें। ऐसा करने से विद्यार्थी श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं एवं कारीगरी के महत्व से परिचित होंगे।

   मानव संसाधन मंत्रालय के 2018 के आंकड़ों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देश में जी.ई.आर. 26.3 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य सन् 2035 तक इसे 50 प्रतिशत करना है ताकि भारतीय युवक रोजगार योग्य बनें और अपना व्यवसाय करने में सपफलता हासिल कर सकें।
8. कालेजों को ग्रेडेड स्वायता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जायेगी। मान्यता प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दिया जाएगा। धीरे–धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जायेंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रुप में विकसित होंगे।
9. उच्च शिक्षा के लिए मैडिकल एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना एकल निकाय के रूप में की जाएगी। आयोग के अधीन निम्न 4 परिषद कार्य करेंगे–
   (क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एन.एच.ई.आर. सी) का कार्य नियम बनाना होगा।
   (ख) उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एच.ई.जी.सी) का कार्य वित्त उपलब्ध कराना है।
   (ग) सामान्य शिक्षा परिषद् (जी.ई.सी) का कार्य नियमों को लागू कराना होगा।
   (घ) राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एन.ए.सी.) का कार्यक्षेत्र संस्थाओं को मान्यता देने से संबंधित होगा।
10. प्रत्येक विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालय खोले जायेंगे। विश्व की 100 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों को भारत में कैम्पस खोलने की अनुमति दी जायेगी। भारतीय विश्वविद्यालयों को भी विदेशों में कैम्पस खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
11. शिक्षा के व्यावसयीकरण को रोकने के लिए सरकार लेखा–परीक्षा और पारदर्शिता पर कड़े नियम बनाएगी। सभी शिक्षा संस्थान लेखा–परीक्षा और प्रकटीकरण की मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। सभी वित्तिय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक खुलासा होगा। जिसमें आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की सहायता ली जायेगी।

नीति में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

1. दसवीं और बारहवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा जारी रहेंगी। लेकिन इन्हें सरल बनाया जाएगा ताकि विद्यार्थी तनाव में न रहें।
2. विभिन्न श्रेणी की विश्वविद्यालय के नाम जैसे विशेष, तकनीकी, डीम्ड आदि हटाकर केवल 'विश्वविद्यालय' किया जायेगा।
3. एम. फिल. को हटाया जायेगा।

4. विद्यालयों/महाविद्यालयों मे पाठ्यतर क्रियाकलाप पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी।
5. शिक्षा में निवेश बढाकर कुल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6% होगा।
6. दिव्यांगों/विक्लांगों, अनाथ बच्चों और भिखारियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
7. शिक्षा का नया ढांचा अधिक समावेशी होगा। आर्थिक/सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा जोन बनाये जायेंगे और प्रत्येक जिले में एक उच्च शिक्षा संस्थान होगा।

8. भारत के संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएंगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं भाषा बोलने वाले लोग शामिल होंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके, और नियमित रुप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। ये शब्दकोष व्यापक रुप से प्रसारित किए जाएंगे ताकि इनका इस्तेमाल हो सकें।
9. कृत्रिम बुद्धिमता आधरित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों पर शिक्षा द्वारा जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जायेगा। नई शिक्षा प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लाभों पर ध्यान केंद्रित होगा। मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म और आई सी टी के पहलुओं और ई–लर्निंग प्लेटफार्म का विस्तार किया जाएगा। आनलाईन/डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र के मानक स्थापित किए जायेंगे।

निष्कर्ष

निःसंदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना बहुत उंची है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है। संविधान में शिक्षा को संयुक्त सूची में रखा गया है और देश में भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद, विभिन्न वर्गों के निहित स्वार्थों का बोलबाला है। नई नीति को लागू करने के लिए कटिबद्ध केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में बेहतरीन समन्वय अनिवार्य है। व्यावसायिक शिक्षा को सफल बनाने के लिए उसे मुख्यधारा की शिक्षा के समान महत्व देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय ''वाईट कालर'' नौकरियों के पीछे न भागें। इस संबंध में उनकी मानसिकता बदलने की कड़ी आवश्यकता है।

अपनी हर मुश्किल का हल होगा जरूर, चाहे आज नहीं तो कल होगा जरूर।

तूफान से मिली है कश्ती कागज की, कुछ तो हौसलों में बल होगा जरूर।

संस्थागत गतिविधि

सर्व प्रथम सभी जिलों के साथी कार्यकर्त्ताओं से फोन पर संपर्क करके सभी को भारत व राज्य सरकार से संबंधित कोविड की गाईड लाइन शेयर की गई और निर्देशित किया गया कि सभी साथी अपने–अपने क्षेत्र में कोविड गाईड लाइन को ले कर जागरूकता कार्यक्रम करे जिसमें मुख्य तौर समय समय पर साबुन से कम से कम 20 सेकेन्ड तक हाथ धोना, फेस मास्क का उपयोग करना, हाथों में दस्ताने पहनना, उचित दूरी जिसमें कम से कम दो गज की दूरी का फासला रखना शामिल था। उपरोक्त सभी को दीवारों पर स्लोगन के रुप में अपने–अपने क्षेत्रों में लोगों के घरों पर, सरकारी भवनों की दीवारों पर बस स्टाप पर जहाँ बाज़ार लगते थे, वहाँ पर जागरूकता स्लोगन लिखावने का काम जून माह में किया गया साथ ही साथ किशोरी बलिकाओं के साथ उनकी महावारी स्वच्छता शारीरिक बदलाव संबंधी बैठक चर्चा की गयी। साथ ही साथ 20 गावों के कृषि मित्रों की बैठक में शामिल होकर महिला मुद्दों संबंधी अपने विचार रखें। साथ ही साथ जिला पंचायत में युवाओं की बैठक में शामिल होकर उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने संबंधी बाते बताई गयीं।

शेष पृष्ठ 7 पर

कोविड-19 और शिक्षा प्रक्रिया का बदलता स्वरूप

अगर हम ''सूक्ष्म'' पर विचार करें तो यह कथन ध्यान में आता है कि माचिस की एक तीली समूचे जंगल को जला सकती है। एक चींटी हाथी को भी नचा सकती है। ठीक इसी तरह एक अति सूक्ष्म कोरोना नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और कुछ क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन करने के लिए देशों को बाधित किया है। इनमें एक क्षेत्र है–शिक्षा। लगभग एक वर्ष पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन इतनी तेजी से आयेंगे।

कोविड–19 की वजह से अन्य देशों की तरह भारत में मार्च 2020 में सभी शिक्षण संस्थान बंद हो गए और देखते ही देखते बड़ी इमारतों की चारदीवारी की कक्षाओं का स्थान एक छोटे से स्क्रीन ने ले लिया।

प्राइमरी के बच्चों से लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आज इंटरनेट द्वारा संचालित आनलाइन कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। एक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर अक्तूबर 2020 तक आनलाइन सीखने के लिए लगभग 33 लाख वैब सर्च हुए हैं। जूम और गूगल जैसे एप शिक्षा प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हो गए हैं, जहां वर्चुअल कक्षाऐं होनी हैं और विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद करते हैं।

शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही आनलाइन कक्षाओं से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि दोनों ही इस तेज गति से होने वाले परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, न ही मानसिक तौर पर और न ही संसाधनों की दृष्टि से। अब दोनों ही इस हकीकत से जूझने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या आनलाइन शिक्षण–प्रशिक्षण मानव समाज के विकास में उपयोगी होंगे? यह चर्चा का विषय है।

विचारकों के एक वर्ग का मानना है कि आनलाइन कक्षाएं समावेशी शिक्षा की ओर रास्ता प्रशस्त कर रही हैं। इस प्रणाली से सामाजिक समता बढ़ेगी। समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा तक पहुंच होगी। परिणाम स्वरूप उनका सशक्तिकरण होगा।

आनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है। एक ''माउस'' के क्लिक करने से ही ढेरों अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वे सीखने के विभिन्न तरीकों से भी अवगत होते है। विधार्थी अपनी सुविधानुसार वेबिनारों में भाग ले सकते हैं। शिक्षा का यह स्वरूप उनके लिए कम खर्चीला भी है। सफर पर व्यय नहीं होता। समय और श्रम की भी बचत होती है। विद्याार्थी इस स्वतंत्रता से खुश हैं।

इस विषय पर शिक्षा से जुड़े कुछ विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावक की प्रतिक्रिया प्रस्तुत है–

आई.जी.डी.टी.यू.डब्लू. नई दिल्ली में आर्किटेक्चर की छात्रा तुलसी भारद्वाज कहती हैं –''वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण मैं दो सीमैस्टर से आनलाइन कक्षा में पढ़ रही हूँ। आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रम को देखते हुए आनलाइन कक्षाएं कई अर्थों में वरदान साबित हुईं हैं। हमारी प्रस्तुति की सामग्री बहुत मंहगी पड़ती थी और उसे खरीदने के लिए जगह–जगह भटकना पड़ता था। अब सब काम आनलाइन होते है। प्रतिदिन 2–5 घंटे का समय, पैसा और शारीरिक श्रम सभी की बचत होती है। लेकिन हम सब विद्यार्थी आनलाइन शिक्षा के विपरित प्रभाव भी झेल रहे हैं। समूह प्रोजेक्ट में एक दूसरे से विचार विमर्श करना कठिन हो गया है। अब हमने सहपाठियों के बीच सीखने का आनन्द और मौज मस्ती को खो दिया है। आनलाइन शिक्षा प्रक्रिया संकटकाल में विकल्प तो हैं परन्तु परम्परागत शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। शिक्षकों के सानिध्य में रहकर हम जो सीखते हैं वह स्मरणीय है, वह बेजोड़ है।''

शिक्षकों के लिए आनलाइन कक्षायें विशेषकर स्कूल स्तर पर चुनौतिपूर्ण हैं। इंटरनेट सब बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थियों की एकाग्रता और उनमें अनुशासन बनाए रखना शिक्षक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कक्षा में एक अध्यापक की महज उपस्थिति भी सीखने का एक साधन/टूल है। विद्यालय में सीखने–सिखाने का वातावरण सुबह प्रार्थना सभा से ही आरम्भ हो जाता है। संस्था में बचपन से बड़े होने के अनुभव बच्चे के व्सक्तित्व का विकास करते हैं। आनलाइन शिक्षा में बच्चे इस सभी से वंचित हैं और अलग–थलग महसूस करते हैं।

इंद्रप्रीत, पश्चिम विहार में अध्यापिका हैं। उनका कहना हैः– ''कोविड–19 ने अध्यापकों और विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी प्रेमी बना दिया है। अध्यापकों ने शिक्षण के तरीकों का नवाचार भी किया है, परन्तु हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। पाठ्यक्रम आनलाइन सीखने के अनुरूप नहीं है। अब दैनिक कार्यकाल सुबह 8 बजे से 3 बजे तक नहीं रह

गया है। कक्षा की तैयारी और कक्षा संचालित करने में बहुत समय लगता है। शिक्षक की नौकरी 12 घंटे की हो गई है। किसी भी समय विद्यार्थियों और अभिभावकों के गैर–अनिवार्य फोन आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी घटिया टिप्पणी करते हैं। अब नौकरी बोझ बन गई।''

तिलक नगर स्कूल की बारहवीं कक्षा की छात्रा हरलीन कौर ने आनलाइन कक्षाओं पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी– ''आनलाइन शिक्षा प्रक्रिया से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। हम अकेलापन महसूस करते है। हम विद्यार्थियों की आंखों और कानों पर आनलाइन कक्षाओं का बुरा प्रभाव पड़ा है। एक सकरात्मक पहलू यह है कि हम कोरोना बीमारी से सुरक्षित हैं।''

शहरों में छोटे मकान होते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सभी के लिए आनलाइन कक्षाएं बहुत चुनौतिपूर्ण हैं। छोटे बच्चों के अभिभावक इन कक्षाओं से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। दीपा शर्मा, नई दिल्ली दो बच्चों की माँ हैं। दोनो बच्चों के साथ आनलाइन कक्षाओं में उन्हें भी उपस्थित रहना पड़ता है। वह कहती हैं– ''बच्चों के साथ आनलाइन पढ़ानें की प्रक्रिया बहुत थकाने वाली है। मैं मानती हूँ कि इस आपदा में आनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। यह बच्चों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। परन्तु इसके नुक्सान भी बहुत हैं। स्कूल की कक्षा में जो बच्चों में उत्साह होता है वह आनलाइन क्लास में नहीं होता। किसी भी समय नेटवर्क कमजोर हो जाने से क्लास स्थगित करनी पड़ती है। इसके अलावा जिन उपकरणों यानि मोबाइल, कंप्यूटर से हम बच्चों को दूर रखना चाहते थे वही हमें उनको देने पड़ते हैं। बच्चों की आंखों पर बहुत दबाव रहता है। शिक्षक किसी भी समय कोई भी गतिविधि करने का मैसेज कर देती हैं। मेरा यह मानना हैं कि एक साल पाठ्येत्तर गतिविधियां न भी कराई जाएं तो कोई नुक्सान नहीं है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग को आनलाइन पाठ्यक्रम में बदलाव करने चाहिए।''

मनुष्य का व्यक्तित्व समाज के द्वारा निर्मित होता है। उसकी भाषा, आकांक्षाऐं, स्वभाव, ज्ञान और गुण सभी सामाजिक वातावरण के सांचे में ढलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सदैव मित्रों और सहचर्य की आकांक्षा रखता है। जब एक व्यक्ति सेवा–निवृत हो जाता है वह काम करने के विधि विधान भूल जाता है। उसकी स्मृति में रह जाते हैं मात्र मानव संपर्क और सामाजिक सहचर्य। एक फर्म के निदेशक ने एक बार कहा था, ''मेरे पास वार्षिक विवरण मत भेजो; गपशप के विवरण भेजो, व्यक्तियो से मेरा संपर्क टूट गया है जिससे मेरा जीवन दूभर हो गया है।'' यह बात बच्चों और युवा वर्ग पर तो ज्यादा लागू होती हैं। हमें शिक्षा क्षेत्र में तकनीक का सहारा लेना चाहिए लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता हमें असुरक्षा की ओर ले जाती है। दो दिन पहले गूगल और यू टयूब की सेवायें लगभग एक घंटा बंद रही तो काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। ये घटना छोटी है परंतु संभावित खतरे का बहुत बड़ा संदेश भी है। सामान्य परिस्थितियों में पारम्परिक शिक्षा प्रक्रिया ही बेहतरीन प्रणाली है।

पृष्ठ 5 का शेष

जिसमें मुख्य रुप से निर्णय प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सहभागिता आपसी अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि वे भी बराबरी का जीवन जी सकें व उन्हें सामाजिक व व्यक्तिगत चेतना विकास के लिए एक मंच मिल सके, नेटवर्किंग का विस्तार व पार्टनरशिप को बढ़ावा देने हेतु कार्यकर्त्ता द्वारा सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से संपर्क व सखी वन स्टाप सेंटरों की विजिट व महिला थानों के साथ कांकेर जिले में बैठक रही। कांकेर के नरहरपुर, अंतागढ़ व चारामा ब्लॉक में संभाग स्तरीय स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में सहभागिता रही भोजन के अधिकार अभियान द्वारा मनरेगा कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम विषय में आयोजित वेबिनार में सहभागिता रही व राष्ट्रीय सेवा बिलासपुर द्वारा गो धन न्याय योजना के संदर्भ में आयोजित वेबिनार में भी सहभागिता रही आदर्श संस्था द्वारा चारामा में मधुमय मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिनके साथ मिलकर युवक युवितियों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार महिला अधिकारों से संबंधित जानकारी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं में कैपेसिटी प्रोडक्टीविटी–इम्प्रूव हेतु छोटे–छोटे स्तर पर बैठकें आयोजित की गयीं व जो घरेलू हिंसा के केस निकल कर नहीं आ रहे थे उनको बाहर लाए और सरकारी तंत्र तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया।

चिट्ठी आई है.....

◈ उद्घोष मिला धन्यवाद, जीवन का अधिकांश समय जिस काम में लगाया और अभी भी लगा रहे हैं उसको आप लोग सही बता रहे हैं तो संतोष होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। उद्घोष से विभिन्न सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान जानने में मदद मिलती है। साथ ही साहस और निडरता का भाव मन में विकसित होता है। यह संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है, संस्थागत गतिविधियों को सुगठित रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। ''जागते रहो–जगाते रहो'' स्तम्भ का शीर्षक छोटा और ज्यादा सार्थक रखा जा सकता है।

- भारत भारती
कांकेर, छत्तीसगढ़

◈ उद्घोष के माध्यम से समाज की समस्याओं व बदलाव की जानकारी मिली। इसमें बच्चों एवं महिलाओं की स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है –यह अच्छी बात है। हमे इससे बहुत से नए कानूनों व नियमों की भी जानकारी मिलती है।
लक्ष्मी ठाकुर, बस्तर

खुशी की बात है कि हमारे देश में भी महिलायें सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं कि वे किसी से कम नही हैं। उद्घोष भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन देश में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर सख्ती से रोक लगाया जाना जरूरी है।

- रेखा सिंह,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

◈ स्नेह भरा नमस्ते, उद्घोष के लिए बहुत–बहुत आभार पत्रिका हर अंक में एक ऐसे सच को सामने ला रही है, जो बहुत ही कड़वा है, परंतु सच है। आज हर युवा को यह तो पता है कि देश टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है परंतु उन समस्याओं का नही पता जो ज्यादातर लोगो के सामने मौजूद हैं। उद्घोष पत्रिका हर युवा तक पहुंचनी चाहिए।

- लोकेश कुमार
सेल्स मैनेजर मेचमार्क, दिल्ली

◈ उद्घोष के अंक निरंतर मिल रहे हैं खास तौर पर ईमेल वाला आज इंटरनेट और सोशल मीडीया के युग में इसकी उपयोगिता ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सामाजिक परिदृश्य झलकता है, कैसे नीतियां बनती हैं और कैसे उनका मूल्यांकन करते है, उनकी वास्तविकता क्या है। यह सब जमीनी स्तर पर पहुंचाने का उद्घोष का काम सराहनीय है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई।

- राजेश सिंह
नंगे पांव सत्याग्रह, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

◈ उद्घोष अच्छी पहल है और निरंतर मिल रहा है।
– मुक्ता एक्का, गुवाहटी, असम

◈ उद्घोष के लिए धन्यवाद
– शमीम सिद्की, जगदलपुर, छत्तीसगढ़
– टंक खनल, पोखरा, नेपाल
– श्याम चंद, काठमांडू, नेपाल
– ज्यन्ती यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़

आपका मंच

उद्घोष आपका मंच है, आपका–हमारा संयुक्त स्वर है। उद्घोष में साथी संगठनों की गतिविधियों का, हमेशा स्वागत है आप यथा समय अपनी व अपने संगठन की विगत एवं भावी गतिविधियों की सूचनाएं सहर्ष भेजें। उद्घोष में उन्हें यथोचित स्थान मिलेगा।

–सम्पादक

बुक पोस्ट

शिवि डेवलपमेंट सोसायटी, 96–97, पॉकेट 13, सैक्टर 20, रोहिणी, नई दिल्ली–110086, भारत
Mob : 9654957131 E-mail: sdsindia09@gmail.com website : www.shividevelopmentsociety.org